[लोक सभा द्वारा पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 39

[दि वेयरहाऊसिंग कारपोरेशंस (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

1962 का 58

2. भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय शेयरों का अनुमोदित प्रतिभूतियां होना ।

"5. इस धारा में वर्णित अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के शेयरों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे,-

(क) उन अन्य प्रतिभूतियों के अंतर्गत हैं जो भारतीय न्यास अधिनियम

1882 की धारा 20 में प्रगणित हैं ; और

1882 का 2
1938 का 4
1949 का 10

(ख) बीमा अधिनियम, 1938 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं ।" ।

धारा 27 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) राज्य भाण्डागारण निगम के बंधपत्र और डिबेंचर ऐसे बंधपत्रों या डिबेंचरों के पुरोधरण के समय राज्य भाण्डागारण निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर समुचित सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जाएंगे ।" ।

धारा 30 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 31 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 39 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 39 के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 को कृषि उपज और कतिपय अन्य वस्तुएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, के भाण्डागारण के प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित विषयों के निगमों के निगमन और विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाभ उपार्जित करने वाला एक पब्लिक सेक्टर उद्यम है और लोक उद्यम विभाग द्वारा लघु-रत्न पब्लिक सेक्टर उद्यम के रूप में घोषित किया गया है। केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम को लघु-रत्न प्रास्थिति प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदंडों में से एक मानदंड यह है कि उस उद्यम की बाबत सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता या समाश्रित दायित्व अंतर्वलित नहीं होना चाहिए और यह कि उसे किसी बजटीय सहायता या सरकारी प्रतिभूति पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए।

2. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ने वर्ष 1957-58 से ही भारत सरकार को निरंतर लाभांश संदत्त किया है। निगम का शुद्ध मूल्य वर्ष 2003 से आगे सकारात्मक रहा है। निगम ने केन्द्रीय सरकार से कोई उधार नहीं लिया है। यह सरकार की बजटीय सहायता पर भी निर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित न्यूनतम प्रत्याभूत लाभांश के संदाय को छोड़कर अब तक निगम को कोई अन्य प्रत्याभूति नहीं दी है। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 5 को उसकी धारा 27, धारा 30, धारा 31 और धारा 39 में पारिणामिक संशोधनों के साथ उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। धारा 5 की उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्याभूति वापस ली जाएगी और केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति-दाता होने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगी।

3. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
17 फरवरी, 2015

राम विलास पासवान

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 5 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि मूलधन के प्रतिसंदाय और वार्षिक लाभांश के संदाय के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जाने वाले केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के शेयरों से संबंधित विद्यमान उपबंध को दूर किया जा सके । नई धारा में भारत की संचित निधि से कोई व्यय, या तो आवर्ती या अनावर्ती परिकल्पित नहीं है । अधिनियम की धारा 27 में पारिणमिक संशोधन केंद्रीय भाण्डागारण निगम के बंधपत्रों और डिबेंचरों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंधित प्रत्याभूति को हटाने के लिए है । अधिनियम की धारा 39 में पारिणामिक संशोधन आय-कर अधिनियम के अधीन भाण्डागारण निगम को उपलब्ध कतिपय छूट हटाने के लिए है । इसलिए विधेयक में कोई वित्तीय विवक्षा अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 58) से उद्धरण

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयरों का प्रत्याभूत किया जाना और उनका न्यास या अनुमोदित प्रतिभूतियां होना ।

5. (1) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के शेयर अपने मूलधन के प्रतिसंदाय और ऐसी न्यूनतम दर से वार्षिक लाभांश दिए जाने के बारे में, जो शेयरों के निर्गमन के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूना द्वारा नियत की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभत किए जाएंगे ।

(2) इस उपधारा में वर्णित अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के शेयरों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उन प्रतिभूतियों के अन्तर्ग है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 में प्रमाणित है तथा यह भी समझा जाएगा कि वे बीमा अधिनियम, 1938 और बैंककारी अधिनियम, 1949 के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं ।

1882 का 2
1938 का 4
1949 का 10

* * * * * *

भाण्डागारण निगम की उधार लेने की शक्तियां ।

27. (1) * * * * *

(4) भाण्डागारण निगम के बंधपत्र और डिबेंचर, मूलधन के प्रतिसंदाय और ऐसी दर पर ब्याज दिए जाने के बारे में, जो बंधपत्रों या डिबेंचरों के पुरोधरण के समय निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, समुचित सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जाएंगे ।

* * * * * *

लाभों का व्ययन ।

30. (1) * * * * *

(2) भाण्डागारण निगम डूबन्त और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और ऐसी सभी अन्य बातों के लिए, जिनके लिए प्रायिक रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और निगमित कंपनियां उपबंध करती है, उपबध करने के पश्चात् अपने वार्षिक शुद्ध लाभों में से लाभांश घोषित कर सकेगा :

1956 का 1

परन्तु जब तक कि रिजर्व निधि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की समादत्त पूंजी से कम है और जब तक कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी राशि, यदि कोई हो, जिसे उस सरकार ने धारा 5 की उपधारा (1) या धारा 27 की उपधारा (4) के अनुसरण में दी गई प्रत्याभूति के अधीन दी हो, प्रतिसंदत्त नहीं करदी जाती है, तब तक केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की दशा में, ऐसे लाभांश की दर उस दर से अधिक नहीं होगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्याभूति दी गई है ।

भाण्डागारण निगम के लेखा और लेखा परीक्षा ।

31. (1) * * * * *

(8) इस धारा में इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वप्रेरणा पर, यह समुचित सरकार से इस निमित्त प्राप्त निवेदन पर, भाण्डागार निगम के बारे में ऐसी लेखापरीक्षा कर सकेगा और ऐसे समय पर कर सकेगा जब वह आवश्यक समझे :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा दी गई प्रत्याभूति के कारण कोई संदाय करे, वहां भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी लेखापरीक्षा करेगा ।

* * * * * *

आय-कर और अधिकर के संबंध में उपबंध ।

39. आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए भाण्डागारण निग उस अधिनियम के अर्थ में कंपनी समझा जाएगा और वह अपनी आय, लाभों और अभिलाभों पर तद्नुसार आय-कर और अधिकर देने का दायी होगा : 1961 का 43

परन्तु केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की दशा में, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में दी गई प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त किसी राशि को या, किसी भाण्डागारण निगम की दशा में, धारा 27 की उपधारा (4) के अनुसरण में दी गई किसी प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा संदत्त किसी राशि को भाण्डागारण निगम की आय, लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा और ऐसी राशियों में से उस निगम द्वारा पुरोधृत डिबेंचरों या बंधपत्रों पर किसी ब्याज को उसके द्वारा उपगत व्यय नहीं माना जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी शेयरधारक या डिबेंचरधारक की दशा में, लाभांश या ब्याज के ऐसे प्रभाग के बारे में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम रूप में संदत्त किसी ऐसी राशि में से दिया गया है, यह समझा जाएगा कि वह उस अधिनियम की धारा 86 के अर्थ में आय-कर मुक्त घोषित की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज से उसकी आय है ।

*   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—4808LS(CRC)—26.02.2015.